

दिनांक - 03.08.2025

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा चोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों व 01 बाल अपचारी को 24 घण्टे के अन्दर चोरी किये माल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 85/2025 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों व 01 बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर 24 घण्टे के अन्दर चोरी किये माल 01 (मंगलसूत्र) पीली धातु, 02 झुमकी पीली धातु, 01 काला बैग जिसमें बैंक पासबुक व इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 29 चैन रंग सफेद छोटी व बड़ी, 35 चैन रंग काली छोटी व बड़ी तथा पुरुष पर्श जिसमें 2000 रुपये व आधार कार्ड सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अर्जुन कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी मूल पता गांव डबरी चिलसरा थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद वर्तमान पता मोहल्ला दीनदयाल बाग घटियाघाट थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़।
2. विशाल उर्फ बकरी पुत्र उदयवीर निवासी मोहल्ला लोको रोड काशीराम कॉलोनी थाना फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
3. बाल अपचारी सुमित कुमार पुत्र बिरजू निवासी मोहल्ला बगिया गेट मातादीन की चक्की थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.08.2025 को वादी रमेश कुशवाहा पुत्र दृगपाल सिंह निवासी मोहल्ला आराकसान महाकाल मन्दिर के पास थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ की तहरीर के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना क्रम में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 01. अर्जुन कुमार 02. विशाल उर्फ बकरी व 01 बालअपचारी सुमित कुमार उपरोक्त को चोरी किये गये माल 01 (मंगलसूत्र) पीली धातु, 02 झुमकी पीली धातु, 01 काला बैग जिसमें बैंक पासबुक व इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 29 चैन रंग सफेद छोटी व बड़ी, 35 चैन रंग काली छोटी व बड़ी तथा पुरुष पर्श जिसमें 2000 रुपये व आधार कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण 1.अर्जुन कुमार 2. विशाल उर्फ बकरी व बालअपचारी 3. सुमित कुमार से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने जुर्म से इकबाल करते हुए बताया कि साहब हमसे गलती हो गयी है आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 अदद (मंगलसूत्र) पीली धातु,
02. 02 अदद झुमकी पीली धातु,
03. 01 अदद काला बैग जिसमें बैंक पासबुक व इलेक्ट्रॉनिक कांटा,
04. 29 अदद चैन रंग सफेद छोटी व बड़ी,
05. 35 अदद चैन रंग काली छोटी व बड़ी तथा
06. पुरुष पर्श जिसमें 2000 रुपये व आधार कार्ड

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 07/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त विशाल उर्फ बकरी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त सुमित कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव पाण्डेय
2. उ0नि0 इमरान फरीद
3. हे0का0 विवेक कुमार
4. का0 मलिखान सिंह
5. का0 गौरव कुमार

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम-

01. प्रभारी उ0नि0 दीपक भाटी
02. हे0का0 संदीप सिंह
03. हे0का0 अनुराग सिंह
04. हे0का0 सचेन्द्र सिंह
05. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।